**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं.2908**

**वाणिज्य विभाग**

**दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**जैविक उत्पादों का निर्यात**

**2908. डॉ. रमेश पोखरियाल "निशंक":**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान जैविक उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति क्या है:

(ख) देश से निर्यात किए गए शहद और फलों का ब्यौरा क्या है और मात्रा कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश से शहद और फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) भारत को जैविक उत्पादों का निर्यात विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत वर्ष 2001 में अधिसूचित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत शासित होता है। किसी उत्पाद का 'जैविक उत्पाद' के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब उसके साथ एनपीओपी के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा जारी लेनदेन प्रमाण पत्र हो। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के जैविक निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है-

| वर्ष | **मूल्य (करोड़ रुपये में)** |
|---|---|
| 2018-19 | 5150.76 |
| 2019-20 | 4685.91 |
| 2020-21 | 7078.50 |
| 2021-22 | 5249.32 |
| 2022-23 | 5525.18 |

स्रोतः ट्रेसनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा

(ख) वर्ष 2022-23 के दौरान देश से निर्यात किए गए जैविक शहद और जैविक फलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| **वर्ष** | **जैविक फल** | | **जैविक शहद** | |
|---|---|---|---|---|
| | **मात्रा (मीट्रिक टन में)** | **मूल्य (करोड़ रुपये में)** | **मात्रा (मीट्रिक टन में)** | **मूल्य (करोड़ रुपये में)** |
| 2022-23 | 91.16 | 2.55 | 1307.58 | 32.78 |

स्रोतः ट्रेसनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा

(ग) वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को फलों और शहद सहित जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। एपीडा ने जैविक उत्पादों के लिए व्यापार मेलों जैसे बायोफैच इंडिया और बायोफैच नुरेम्बर्ग, जर्मनी में जैविक उत्पादों के निर्यातकों की भागीदारी का आयोजन किया है। संबंधित भारतीय मिशनों के सहयोग से मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ जैविक उत्पादों पर वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। एपीडा जैविक हितधारकों के लिए आउटरीच और संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। नए बाजारों में जैविक निर्यात के विस्तार के लिए, भारत संभावित आयातक देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते की बातचीत कर रहा है।

*********